

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक-29.8.02

विषय:- राज्य सरकार के पदाधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृत तथा शर्तों का निर्धारण ।

(1) केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम की सुविधा उपलब्ध है । राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्तों के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में इन्हें तदनुरूप कम्प्यूटर अग्रिम की सुविधा दिये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

(2) राज्य सरकार के सम्पर्क विचारोपरान्त निम्नांकित शर्तों के साथ साथ उक्त सुविधा को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है :-

(क) 10,500/-रूपये तथा इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले सरकारी सेवक ही इसके पात्र होंगे ।

(ख) प्रथम अग्रिम 80,000/-रूपये या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य तथा द्वितीय अग्रिम 75,000/-रूपये या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, देय होगा ।

(ग) प्रथम अग्रिम के मूल एवं सूद को पूरी वसूली हो जाने के बाद ही द्वितीय कम्प्यूटर अग्रिम देय होगा ।

यह अग्रिम पूरे सेवाकाल में मात्र दो बार देय होगा, परन्तु प्रथम एवं द्वितीय अग्रिम के बीच तीन वर्षों का अन्तराल आवश्यक होगा ।

(घ) अग्रिम को वसूली अग्रिम के भुगतान के अगले माह से, अधिकतम 150/-किस्तों में की जायेगी ।

(ङ) निलंबित कर्मचारियों को यह अग्रिम देय नहीं होगा ।

(च) अग्रिम भुगतान की तिथि से दो माह के अन्दर या कम्प्यूटर खरीदने की तिथि से एक माह के अन्दर क्रय प्रमाण-पत्र वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा भुगतान तथा क्रय के बीच की अवधि के लिए 2.5 % अतिरिक्त दण्ड सूद देय होगा ।

(छ) उपर्युक्त दो माह की अवधि में कम्प्यूटर को बिहार के राज्यपाल के नाम से बंधक रखना भी आवश्यक होगा । अनुपालन नह होने की स्थिति में सूद सहित पूरी राशि एकमुष्ट वापस करनी पड़ेगी ।

(ज) यह अग्रिम उन्हीं कर्मियों को अनुमान्य होगा, जो स्थायी हों अस्थायी कर्मियों को उसी विभाग के समान के समान या उच्चस्तर के स्थायी कर्मियों से जमानत पत्र प्राप्त कर यह अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(3) अग्रिम से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर, जो इस संकल्प में अंकित नहीं हैं, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्रिया /नियम लागू होंगे ।

(4) अग्रिम पर 12.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा ।

(5) अग्रिम की स्वीकृति के समय विहित दर से 2.5 प्रतिशत सूद लिया जायेगा, परन्तु स्वीकृत्यादेश को ८

षर्त्ते के अनुपालन तथा किस्तों की नियमित अदायगी किये जाने पर 2.5 प्रतिषत की छुट दी जायेगी ।

(6) अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक-प्र0ए0/अग्रिम (वि0)- 15/99 1624/वि0,

पटना, दिनांक-29.8.02

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0एवं हक), बिहार एवं झारखण्ड, राँची तथा पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक-प्र0ए0/अग्रिम (वि0)- 15/99 1624/वि0,

पटना, दिनांक-29.8.02

प्रतिलिपि:-सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक-प्र0ए0/अग्रिम (वि0)- 15/99 1624/वि0,

पटना, दिनांक-29.8.02

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डल आयुक्त/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना /राज्यपाल के सचिव /सचिव, बिहार, विधान सभा एवं परिषद, पटना/ सभी समाहर्त्तो /सभी आरक्षी अधीक्षक तथा उप-सचिव, वित्त विभाग(स्था) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक-प्र0ए0/अग्रिम (वि0)- 15/99 1624/वि0,

पटना, दिनांक-29.8.02

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस आषय के साथ प्रेषित कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में, प्रकाषित कर 200 प्रतियों अधोहस्ताक्षरी को भेजी जायें ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

